

प्रेषक,  
अमित सिंह नेगी,  
सचिव,  
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,  
आयुक्त, कर,  
उत्तराखण्ड, देहरादून।

वित्त अनुभाग-8

देहरादून दिनांक: 3/ जनवरी, 2017

विषय:- सीजन वर्ष 2016-17 के लिये ईट-भट्टा समाधान योजना लागू किये जाने के सम्बन्ध में।  
महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या-966/2016/xxvii-8/01(A)(120)/2001, दिनांक 25 नवम्बर, 2016 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। इस सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उत्तराखण्ड ईट-भट्टा निर्माताओं द्वारा उत्तराखण्ड मूल्यवर्धित कर अधिनियम, 2005 के अन्तर्गत देय कर के विकल्प के रूप में धारा 7 की उपधारा (2) के अन्तर्गत एकमुश्त धनराशि स्वीकृत किये जाने के सम्बन्ध में सीजन वर्ष 2016-17 के लिये ईट-भट्टा समाधान योजना को संलग्न दिशा-निर्देशों के अनुसार समयबद्ध रूप से लागू करने का कष्ट करें।  
संलग्नक-यथोपरि।

भवदीय,

(अमित सिंह नेगी)  
सचिव

